

पत्रांक- 2536 / आ0प्र0

**बिहार सरकार**  
**आपदा प्रबंधन विभाग**

पत्रांक :

पटना, दिनांक : 10/9/08

पेषक

आर0 के0 सिंह :  
प्रधान सचिव।

सेवा में,

विशेष जिला पदाधिकारी, अररिया।  
जिला पदाधिकारी,  
अररिया / सहरसा / सुपौल / मधेपुरा / पूर्णियां।

विषय : दर निर्धारण की प्रक्रिया के स्पष्टीकरण के संबंध में।

महाशय,

कतिपय जिलों से आपदा जैसी आकस्मिक स्थिति में सामग्रियों के क्रय हेतु दर निर्धारण की प्रक्रिया के संबंध में पृच्छाएं की जा रही हैं। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि बिहार वित्त (संशोधित) नियमावली 2005 के नियम 131(घ) के अनुसार 10 लाख रूपये तक के क्रय के लिए निविदा की आवश्यकता नहीं है (संबंधित नियमावली की प्रति संलग्न)।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 50(ए) के तहत भी आकस्मिक स्थिति में राहत / बचाव सामग्रियों को तुरंत प्राप्त करने हेतु क्रय किये जाने के लिए निविदा आमंत्रण की स्थापित प्रक्रिया से छुट दी गयी है। धारा 50(ए) निम्नवत है :-

50. Where by reason of any threatening disaster situation or disaster, the National Authority or the State Authority or the District Authority is satisfied that immediate procurement of provisions or materials or the immediate application of resources are necessary for rescue or relief, -

(a) it may authorise the concerned department or authority to make the emergency procurement and in such case, the standard procedure requiring inviting of tenders shall be deemed to be waived ;

विश्वासभाजन

*an*  
(आर0 के0 सिंह)  
प्रधान सचिव